## न्यायालय अपील अधिकारण ( जिलामजिस्ट्रेट) जोधपुर

**पीठासीन अधिकारी :– प्रकाश राजपुरोहित,** आई.ए.एस.

**भरण पोषण अधि. अपील संख्या : 01** / 2019

| अपीलार्थी | बनाम | प्रत्यर्थीगण |
|---|---|---|
| 1– अशोक कुमार पुत्र कोटूमल आयु 69 वर्ष जाति सिंधी निवासी सोजती गेट बेरियो का मोहल्ला, जोधपुर। जिला जोधपुर। | | 1–श्रीमती मधु आनन्द पत्नी अशोक कुमार<br>2–लवली पुत्र अशोक कुमार<br>3–श्रीमती रेखा पत्नी लवली<br>4–विकम पुत्र अशोक कुमार<br>5–श्रीमती प्रिया पत्नी विकम जाति सिंधी निवासी लक्की बाल निकेतन के पीछे, बेरियों का मोहल्ला, जोधपुर। |

**अपील अन्तर्गत धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2018 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी जोधपुर) द्वारा भरण पोषण प्रार्थना–पत्र संख्या 83 / 2017 श्रीमती सोनीदेवी बनाम पोकरराम व अन्य में पारित किया जिसके तहत अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड दस्तावेज दिनांक 07.09.2010 निरस्त करने का आदेश दिया गया।**

उपस्थितिः–

निर्णय दिनांक 06.05.2019

1– अपीलार्थीपक्ष स्वयं
2– प्रत्यर्थीपक्ष सं0– 1 स्वयं
3– अप्रार्थी संख्या–2 ता 5 अनुपस्थित।

## आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ार्थीया / प्रत्यर्थी–एक श्रीमती मधु आनन्द पत्नी अशोक कुमार सिन्धी ने एक ार्थना–पत्र अन्तर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 5 एवं 23 के तहत पेश करते हुए विरूद्ध

लगातार...

अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण 2 ता 5 लवली व अन्य से भरण पोषण राशि दिलाने एवं प्रार्थीया के मकान से अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थी संख्या– 2 ता 5 को बेदखल करने हेतु उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर के समक्ष पेश किया। उपखण्ड अधिकरण जोधपुर द्वारा प्रार्थीया/प्रत्यर्थी मधु आनन्द के प्रार्थना–पत्र पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2019 पारित करते हुए अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण लवली एवं विक्रम को 8000/– 8000/–रूपये प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता देने एवं प्रार्थीया के मकान के ग्राउण्ड फ्लोर में संचालित पानी की फेक्ट्री को एक माह की अवधि के भीतर भीतर खाली कर प्रार्थीया/प्रत्यर्थी मधु आनन्द को कब्जा सुपुर्द करने के निर्देश दिये गये, जिससे से व्यथित होकर अपीलार्थी की ओर से यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर ( 01/2019 ) कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख भी मंगवाया गया। मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। प्रत्यर्थीपक्ष एक आज तारीख पेशी 06.05.19 को अजखुद उपस्थित हुए तथा प्रारम्भिक आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया तथा शेष प्रत्यर्थीपक्ष के नोटिस बाद तामील बावजूद अनुपस्थित। आज दिनांक 06.05.19 को उपस्थित अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी–एक की बहस भी सुनी गई।

अपीलार्थीपक्ष की ओर से बहस में बतलाया कि वो 69 वर्ष का व्यक्ति है तथा आय का कोई स्त्रोत नहीं है। प्रत्यर्थी मधु आनन्द ने प्रत्यर्थी–2 ता 5 के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत पेश करते हुए भरण पोषण राशि दिलाने एवं उसके नाम से बना मकान से बेदखल करने का उपखण्ड अधिकरण जोधपुर के समक्ष पेश किया। बहस में आगे कहा कि अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी–एक दोनों पति पत्नी है तथा उसने ही अपने जीवन काल में अपनी आय से प्रत्यर्थीपक्ष–एक के नाम से लक्की बाल निकेतन के पीछे, बेरियों का मोहल्ला जोधपुर में एवं दो अन्य मकान खरीद किये गये। बहस में यह भी कहा कि प्रत्यर्थी–एक को प्रतिमाह 18 हजार रूपये किराया प्राप्त हो रहा है। विवांदग्रस्त मकान में अपीलार्थी काफी वर्षों से शांतिपूर्वक तरीके से व्यवसाय कर रहा है तथा व्यवसाय के लिए विधिपूर्वक प्रमाण पत्र लिया हुआ है अतः उक्त मकान से व्यवसाय हटवा दिया जायेगा तो अपीलार्थी को जीना मुश्किल हो जायेगा। अपीलार्थीपक्ष ने बहस के दौरान यह भी बतलाया कि विवादग्रस्त मकान को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है तथा वहां से स्थगन आदेश भी हो रखा है। प्रकरण के विचाराधीन होने बाबत् दस्तावेज की फोटो प्रतियां पेश की गई, जो सामिल पत्रावली किया गया। अन्त में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को मकान में चल रही पानी फेक्ट्री को हटाने की सीमा तक, निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थीपक्ष–एक की ओर से बहस में बतलाया कि यह अपील पेश की गई वो अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पक्षकार नहीं है तथा मात्र विलम्ब करने के उद्धेश्य से यह अपील प्रस्तुत की गई। प्रत्यर्थीनी के आय के कोई स्त्रोत नहीं

लगातार...

होने एवं वृद्धावस्था होने से मकान की उपरी मंजिल में चढने उतरने की परेशानी होती है इस कारण उसे ग्राउण्ड फ्लोर पर रहने के लिए जरूरी है। बहस में यह भी बतलाया कि प्रत्यर्थी लवली व विक्रम जो उसके पुत्र है उन्होंने आदिनांक तक माफिक आदेश भरण पोषण भत्ता नहीं दिया है अतः अपील निरस्त करते हुए अधीनस्थ अधिकरण के अपीलाधीन आदेश की पालना करने हेतु निर्देशित किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। यह तथ्य सही है कि विवादित जायदाद प्रत्यर्थी–एक की खरीदसुदा है तथा अपीलार्थी अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पक्षकार भी नहीं था। अपीलार्थी द्वारा वक्त बहस प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट पीटिशन संख्या 5219/2019 अशोक कुमार बनाम जिला कलक्टर जोधपुर व अन्य में दिनांक 10.04.2019 के द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.03.2019 के प्रभाव एवं कियान्विति को स्थगित किया गया है अतः ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन होने से अब किसी प्रकार का आदेश किया जाना उचित नहीं समझते है, परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। आदेश सुनाया गया। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित हो।